न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 249 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 403

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
श्री खेतेश्वर शिक्षा प्रसार एवं सेवा समिति बालोतरा जरिए सचिव शंकरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तिरसिंगड़ी सोढा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री दिनेश कुमावत,अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 11.09.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 3098 / 3045 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की अवस्थित है,उक्त भूमि प्रार्थी को श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा आंवटन की गई थी। प्रार्थी का मौके पर कब्जा परिशिष्ट **ब** के मुताबिक है,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा मौके के विपरीत परिशिष्ट **अ** मुताबिक अशुद्व तरमीम कर दी गई,जिसके कारण रेकर्ड एवं मौका स्थिति में भिन्नता है,उक्त अशुद्व तरमीम के कारण प्रार्थी को क्षति हो रही है। अंत प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 3098 / 3045 की विदयमान तरमीम निरस्त करते हुए परिशिष्ट **ब** मुताबिक तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:26:41 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस तलब किया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी [illegible] से तथ्यात्मक प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश की गई। वक्त बहस विप्रार्थी पक्ष अनुपस्थित रहा।

3.प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 3045 / 232

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्षेत्रफल 1.1008 हैक्टयर किस्म गै.मु.लाटा भूमि में से श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक 3701 दिनांक 21.1.2023 के द्वारा प्रार्थी पक्ष को 0.3237 हैक्टयर भूमि आवंटन की गई,जिसके खसरा संख्या 3098/3045 कायम हुई तथा प्रार्थी माफिक आवंटन अनुसार परिशिष्ट ब मुताबिक मौके पर काबिज है तथा मौके पर चार-दीवारी भी की हुए है,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मौके से विपरीत जाकर लट्ठा नक्शा में अशुद्ध तरमीम परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम कर दी गई,जिसके कारण प्रार्थी की भूमि का मौके एवं रेकर्ड में एकरूपता नहीं है। प्रार्थी की भूमि की अशुद्ध तरमीम के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत में निवेदन किया कि परिशिष्ट ब मुताबिक तरमीम दुरुस्त की जावें।

4.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांकःप.12(3)(50)राज./2023/3701 दिनांक 21.7.2023 के द्वारा ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 3045/232 रकबा 1.1008 हैक्टयर किस्म गे.मु.लाटा में से रकबा 0.3237 हैक्टयर भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व(स्कूलो,कॉलेजो, चिकित्सालयों, औषधालयों,धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आंवटन) नियम 1963 के निबंधनो एवं शर्तो के अध्यधीन श्री खेतेश्वर शिक्षा प्रसार एवं सेवा समिति बालोतरा को छात्रावास निर्माणार्थ हेतु भूमि आंवटन की गई। उक्त आंवटन के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2811/03.8.2023 पारित करते हुए आवंटन भूमि का खसरा संख्या 3098/3045 कायम हुआ। आवंटन आदेश के संलग्न प्रस्तावित भूमि का नक्शा व विदयमान भू-नक्शा तरमीम में भिन्नता नहीं होना प्रतीत होता हैं। विप्रार्थी द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में विवादित भूमि का वर्तमान कब्जा व भू नक्शें में तरमीम में भिन्नता होना उल्लेखित किया है,लेकिंन यह स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यायालय हाजा के स्तर पर तरमीम दुरूस्ती करवानें में सफल नहीं रहा है,क्योकि हस्तगत प्रकरण जिस धारा के तहत पेश किया गया है,उसमें प्रावधान है कि दौराने रेकर्ड संधारण लिपीकीय त्रुटि होने पर उक्त धारा में निहित प्रावधान के तहत राहत प्राप्त कर सकते है,जो कि हस्तगत प्रकरण में ऐसा होना प्रार्थी पक्ष साबित नहीं कर पाया है,लेकिन विवादित भूमि का मौका कब्जा एवं भू नक्शे तरमीम में भिन्नता होना विप्रार्थी द्वारा भी स्वीकार किया है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है।

05.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

:आदेश:

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम–कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 3098/3045 भूमि के संबध में आवंटन आदेश नक्शा एवं विद्यमान लट्ठा नक्शा का मिलान करते हुए मौका कब्जा स्थिति एवं रेकर्ड के आधार पर विधि में निहित प्रावधानों के तहत प्रकरण तैयार कर आवंटन अधिकारी को तरमीम संशोधन करने की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 11.09.2024 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:26:41 IST
Reason: SelfAttested